

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1079/2021/10-11/3681 भोपाल, दिनांक/16-8-23
प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।

विषय:- रतलाम जिले में रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु
3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत।


संदर्भ:- भारत सरकार, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB 095/2021-BHO दिनांक 14.08.2023 .

-----0-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने प्रकरण में सैद्धांतिक
स्वीकृति जारी करने के पूर्व 3 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को
भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16-8-23

पृ. क्रमांक/एफ-5/1079/2021/10-11/3682
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), उज्जैन, वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
 2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, हाथीखाना रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश।
- की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीबी 095/2021-बीएचओ/

दिनांक : 14/08/2023

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: रतलाम जिले में रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/ उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि कार्यपाल यंत्रि, लोक निर्माण विभाग, संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1079/2021/10-11/2219 दिनांक 30/05/2023.
2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/258 दिनांक 04/08/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 25/07/2023 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 04/08/2023 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. As the User Agency violated the FCA(1980), in accordance with MoEF & CC guidelines dated 15.05.2023, DFO is authorised to initiate action against responsible persons and file a case under section 3A/3B in Hon'ble Court.
2. The working permission shall be granted only after filing a case in the Hon'ble Court.
3. As the proposed CA patch is less than 5.00 ha the surrounding areas should be ensured to be taken as land bank for future proposals.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय
Hare Ram Kumar
(हरे राम कुमार) 14-8-23

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 14-08-2023 10:37:39

Reason: Approved

14/8/23